न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 104/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/496

1. जगरूप सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 26 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर

—अपीलार्थी

बनाम

1. दर्शन सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 26 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर
2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 26 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर
3. जगतार सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 26 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर
4. गुरमीत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी 26 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :—

1. श्री दिनेश कामरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी सं. 1 से 5, अनुपस्थित

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 24/6/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपील प्रकरण(प्र.सं. 2022/36) पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता श्रीगंगानगर से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार भू.अ. रायसिंहनगर के द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार—2018 में दर्शन सिंह आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 53(2) आरटीए में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2018 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक 26 पीएस बी के मु.नं. 19 की 0.228है. व मु.नं. 20 की 6.200है. कुल 6.428है. नहरी मय खाला भूमि का खाता विभाजन किया गया है के विरूद्ध यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत की गयी हैं।
2. प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की अनुपस्थिति के कारण अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण आपस में भाई—भतीजे हैं। अपीलाधीन भूमि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की [illegible] खाता की भूमि थी। अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण ने मिलकर खाता विभाजन हेतु आवेदन पेश किया गया था लेकिन प्रत्यर्थीगण ने धोखे से [illegible] भूमि अपीलार्थी के हिस्सा में दर्ज करवाते हुए खाता विभाजन [illegible] कि खाला की भूमि को छोडकर शेष भूमि का हिस्सानुसार विभाजन करवाया जाना था। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा आदेश पारित कर खाला की भूमि को केवल अपीलार्थी के हिस्सा में दर्ज कर दिया जिससे अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति हुई हैं एवं अपीलार्थी के अधिकारों को हनन हुआ हैं। अपीलाधीन आदेश प्रत्यर्थीगण द्वारा धोखे से पारित करवाया हैं इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

3. बहस वकील अपीलार्थी पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 के द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा–2018 में तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष अपीलाधीन भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा किये जाने हेतु आवेदन पेश किया अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के द्वारा आवेदन पत्र के साथ भूमि का आपसी बंटवारा हेतु सहमति पत्र भी पेश किया। जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर राजस्व अभियान लिखमेवाला में दिनांक 06.06.2018 को सहमति पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी के आधार पर खाता विभाजन का आदेश पारित किया गया।
4. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर अंकित हैं एवं गवाहान के भी हस्ताक्षर अंकित हैं। आवेदन पत्र तथा सहमति पत्र पर भी अपीलार्थी के हस्ताक्षर अंकित हैं। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र अनुसार ही मौका कब्जा होना अंकित किया गया हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति अनुसार ही आदेश पारित किये गये हैं।
5. अतः अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी की सहमति से पारित किया गया हैं, इसलिए अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. के अन्तर्गत यह कथन करना कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं था स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलार्थी की सहमति से राजस्व अभियान में पारित किया गया हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06.06.2018 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर अंकित हैं। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा किये जाने योग्य नहीं हैं।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24/6/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:49:16 IST
Reason: SelfAttested